

पत्र संख्या-विधि-1(3)-ईट भट्टा समा0यो0-(2009-10)/1841/04/0085 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: फरवरी, 05 2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक),
समस्त डिप्टी कमिशनर (क0नि0),
वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश

विषय:- ईट भट्टा सीजन वर्ष 2009-2010 में दिनांक 01-10-2009 से दिनांक 30-09-2010 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिये जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किया जाना।

शासन के पत्र संख्या-क0नि0-2-240/ग्यारह-2010-9-(32)/09 दिनांक 4-2-2010 द्वारा ईट भट्टा सीजन वर्ष 2009-2010 में दिनांक 01-10-2009 से दिनांक 30-09-2010 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिये जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। शासन का उक्त पत्र एवं निर्देश इस सपत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

2- शासन के निर्देश के अनुसार कुछ प्रमुख तथ्य एवं शर्ते निम्नवत् है :-

(1) यह समाधान योजना ईट भट्टा सीजन वर्ष 2009-2010 में दिनांक 01-10-2009 से दिनांक 30-09-2010 तक की अवधि के लिए है।

(2) समाधान योजना का लाभ उन्ही ईट निर्माताओं को उपलब्ध होगा यदि इस परिपत्र के निर्गत होने के 20 दिन के अन्दर भट्टा व्यवसायों द्वारा समाधान योजना हेतु विकल्प का प्रार्थना-पत्र, निर्धारित समाधान राशि के साथ सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसके पश्चात् यदि 15 दिन के अन्दर इस अवधि के लिए देय समाधान राशि 15

प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करके समाधान योजना का विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब भी इसे स्वीकार कर लिया जायेगा।

(3) सीजन वर्ष 2009-2010 (दिनांक 01-10-2009 से दिनांक 30-09-2010 तक) की अवधि के लिए समाधान राशि सीजन वर्ष 2008-09 की अवधि के लिए विभिन्न पायों के भट्टों के लिए निर्धारित समाधान राशि के बराबर निर्धारित की गयी है, जो निम्नवत् है :-

ईट भट्टा सीजन वर्ष 2009-2010 के लिए निर्धारित समाधान राशियां

पायों की संख्या	सीजन वर्ष 2009-2010 (दि0-1-10-09 से दि0 30-9-2010 तक) की अवधि के लिए निर्धारित मूल्य संवर्धित कर की समाधान राशि		सीजन वर्ष 2009-2010 (दि0-1-10-09 से दि0 30-9-2010 तक) की अवधि के लिए निर्धारित प्रवेश कर की समाधान राशि	
	नान हाई ड्राट	हाई ड्राट	नान हाई ड्राट	हाई ड्राट
1	2	3	4	5
15	90964	100060	9096	10006
16	109572	120528	10957	12053
17	130244	143268	13024	14327
18	152984	168284	15298	16828
19	179860	197848	17986	19785
20	206736	227408	20674	22741
21	235680	259248	23568	25925
22	268756	295632	26876	29563
23	308036	338840	30804	33884
24	349384	384324	34938	38432
25	392800	432080	39280	43208
26	440348	484384	44035	48438
27	489964	538960	48996	53896
28	539580	593540	53958	59354
29	589200	648120	58920	64812
30	638812	702692	63881	70269
31	688432	757276	68843	75728
32	738048	811852	73805	81185
33	787664	866432	78766	86643
34	837280	921008	83728	92101
35	888964	977860	88896	97786
36	940648	1034712	94065	103471
37	992332	1091564	99233	109156
38	1044016	1148416	104402	114842
39	1095700	1205272	109570	120527
40	1147384	1262124	114738	126212
41	1199068	1318976	119907	131898

42	1250752	1375828	125075	137583
43	1302436	1432680	130244	143268
44	1354120	1489532	135412	148953
45	1405804	1546384	140580	154638
46	1457488	1603236	145749	160324
47	1509172	1660088	150917	166009

(4) कतिपय ईट भट्टों में फुकाई शीघ्र पूरी किये जाने के उद्देश्य से हाईड्राट तकनीक भी लगायी जाती है। हाई ड्राट भट्टों के लिए समाधान राशि, नॉन हाई ड्राट भट्टों के लिए निर्धारित समाधान राशि से 10 प्रतिशत अधिक होगी।

(5) कोयले की खरीद पर देय प्रवेश कर के विकल्प के रूप में समाधान राशि उपरोक्तानुसार निर्धारित धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त होगी तथा कोयले पर प्रवेश कर के विकल्प के रूप में समाधान योजना अपनाने के लिए तदनुसार समाधान राशि जमा करनी होगी।

(6) सीजन वर्ष 2009-2010 में ईट भट्टा समाधान योजना के अन्तर्गत समाधान अपनाने वाले ऐसे भट्टों से, जो कि इस सीजन वर्ष के पूर्व से उत्पादन एवं बिक्री कर रहे हैं, की ओर से कम से कम रु- 252 करोड़ की धनराशि जमा की जायेगी। यदि ईट भट्टा सीजन वर्ष 2009-2010 के प्रारम्भ अर्थात् दिनांक 1-10-2009 से पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत भट्टों से रुपया- 252 करोड़ से कम धनराशि के लिए समाधान के विकल्प प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं तो समाधान योजना अपनाने वाले भट्टों द्वारा अवशेष राशि के समानुपातिक रूप से इसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी और तदनुसार आगामी किश्तों का निर्धारण माह मार्च, 2010 के बाद अनुपातिक रूप से किया जायेगा अथवा समाधान योजना अस्वीकार करने पर भी शासन विचार कर सकता है।

(7) यदि उपर्युक्त प्रस्तर में वर्णित पुराने भट्टों से रुपया- 252 करोड़ से अधिक समाधान राशि सीजन वर्ष 2009-2010 में प्राप्त होती है तो अधिक प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि समानुपातिक रूप से समाधान योजना स्वीकार करने वाले ईट निर्माताओं को अगले सीजन वर्ष में देय होने वाली समाधान राशि में समायोजित की जायेगी। जिन भट्टों के सम्बन्ध में अगले सीजन वर्ष में समाधान योजना नहीं अपनायी जायेगी उन्हें यह समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(8) सीजन वर्ष 2009-2010 की समाधान योजना हेतु नियत समाधान राशि के 30 प्रतिशत के बराबर समाधान राशि के जमा करने के प्रमाण के साथ प्रार्थना पत्र व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। देय सम्पूर्ण समाधान राशि का 20 प्रतिशत भाग दिनांक 28 फरवरी, 2010 तक, 20 प्रतिशत भाग दिनांक 20 मार्च, 2010 तक, 10 प्रतिशत भाग 30 अप्रैल, 2010 तक, 10 प्रतिशत भाग दिनांक 31 मई, 2010 तक तथा 10 प्रतिशत भाग दिनांक 30 जून, 2010 तक जमा किया जायेगा। उक्तानुसार निर्धारित किश्तें समयानुसार जमा न करने की स्थिति में 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

3- समाधान योजना सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र / अनुबन्ध-पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है।

4- सीजन वर्ष 2009-2010 (दिनांक 1-10-2009 से दिनांक 30-9-2010 तक) की अवधि में समाधान योजना अपनाने वाले ईट भट्टो के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रारूप-1(क) व प्रारूप-1(ख) में तथा समाधान योजना न अपनाने वाले भट्टो के सम्बन्ध में प्रारूप-2 में अलग-अलग सूचना सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिशनर मुख्यालय को प्रत्येक दशा में दिनांक 20-03-2010 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रारूप-1 (क)

समाधान योजना अपनाने वाले भट्टो से सम्बन्धित विवरण

दिनांक 01-10-2009 से पूर्व स्थापित एवं पंजीकृत भट्टों से सम्बन्धित सूचना

(धनराशि लाख रुपये में)

जितने पाये का भट्टा है	समाधान योजना अपनाने वाले भट्टो की संख्या	पूरे सीजन वर्ष के लिए मूल्य संवर्धित कर व प्रवेश कर की कुल देय समाधान राशि का विवरण			मूल्य संवर्धित कर की जमा समाधान राशि	प्रवेश कर की जमा समाधान राशि	व्याज, यदि जमा हो	जमा धन राशियों का योग (6+7)
		देय मूल्य संवर्धित कर की समाधान राशि	देय प्रवेश कर की समाधान राशि	योग (3+4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल योग								

प्रारूप-1 (ख)

समाधान योजना अपनाने वाले भट्टो से सम्बन्धित विवरण

दिनांक 01-10-2009 के पश्चात स्थापित एवं पंजीकृत भट्टों से सम्बन्धित सूचना

(धनराशि लाख रुपये में)

जितने पाये का भट्टा है	समाधान योजना अपनाने वाले भट्टो की संख्या	पूरे सीजन वर्ष के लिए मूल्य संवर्धित कर व प्रवेश कर की कुल देय समाधान राशि का विवरण			मूल्य संवर्धित कर की जमा समाधान राशि	प्रवेश कर की जमा समाधान राशि	व्याज, यदि जमा हो	जमा धन राशियों का योग (6+7)
		देय मूल्य संवर्धित कर की समाधान राशि	देय प्रवेश कर की समाधान राशि	योग (3+4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल योग								

प्रारूप-2

समाधान योजना न अपनाने वाले भट्टो से सम्बन्धित विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

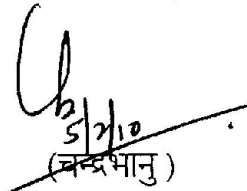
जितने पाये का भट्टा है	कुल भट्टो की संख्या	समाधान योजना से बाहर रहने वाले भट्टो की संख्या	समाधान योजना से बाहर रहने वाले भट्टो के सम्बन्ध में					
			घोषित बिक्री	स्वीकृत जमा मूल्य सम्बन्धित कर	स्वीकृत जमा प्रवेश कर	अस्थायी कर निर्धारण द्वारा आरोपित कर	जमा कर	बकाया कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल योग :-								

5- कृपया शासन के निर्देशानुसार अधीनस्थ अधिकारियों से कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तथा शासन के निर्देश से व्यापारिक संगठनों को एवं अधिवक्ता संघों को भी अवगत कराते हुए इस योजना की सफलता के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाये।

संलग्नक- 1- शासन के निर्देश।

2- समाधान प्रार्थना पत्र का प्रारूप।

3- शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र का प्रारूप।


(चन्द्रभानु)

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

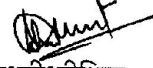
प्र0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियो में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश व्यापार कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य व्यापार कर अधिकरण व्यापार कर, 30 प्र0
- (5) विशेष कमिश्नर व्यापार कर, 30 प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (6) समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, व्यापार कर उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0 अनु0 शा0/अपील) व्यापार कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, व्यापार कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (9) महालेखाकार, 171 ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (11) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश।
- (13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0 आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

- (14) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा ।
- (15) ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमिशनर/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य गाजियाबाद ।
- (16) ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमिशनर/असिस्टेन्ट कमिशनर (30 न्याय कार्य) लखनऊ/इलाहाबाद ।
- (17) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5-5 तथा 10 प्रतियाँ में ।
- (18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ ।
- (19) समस्त अनुभाग अधिकारी, व्यापार कर, मुख्यालय ।
- (20) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो 0185/293 अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ ।
- (21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू लखनऊ ।
- (22) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
- (24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलझाफा लखनऊ ।
- (25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ ।
- (27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्डो ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
- (29) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्डो निराला नगर, लखनऊ ।
- (31) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों/सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य) के माध्यम से ।
- (32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
- (33) शिव कुमार अरोड़ा, एडवोकेट, महा सचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो 0 जमुना बिहार, एस0 एस0 कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर ।
- (34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- (36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (38) श्री बी0 एन0 राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0 टैक्स बार एसो 0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी ।
- (39) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1 कुँजगली, चौक, वाराणसी ।
- (40) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर ।
- (41) श्री पी0 एस0 जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (43) आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- (44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0 ज0 पा0 निवासी 60 चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (45) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उर प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (46) इन्डियन इण्डो एसो 0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
- (47) संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0 (रजि0) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ ।
- (48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा ।
- (49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर ।
- (50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0 रोलर फ्लोर मिलर्स एसो 0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो 0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो 0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (53) श्री हुलास राय सिंधल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
- (54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।

- (55) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष 30प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, 30 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (58) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (30प्र0)
- (63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, 30प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद
- (64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी, उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, यू0पी0 ।
- (65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (67) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।



(यू0सी0दीक्षित)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

समाधान योजना में सम्मिलित होने के लिये प्रार्थना पत्र :- प्रारूप-1

वर्ष 2009-2010 में दिनांक 01-10-2009 से दिनांक 30-09-2010 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-6 के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धित समाधान प्रार्थना पत्र ।

सेवा में,

डिप्टी / असिस्टेंट कमिशनर वाणिज्य कर,

खण्ड-----

मंडल / उपमंडल -----

महोदय,

मै, फर्म सर्वश्री -----

जिसका मुख्यालय-----पर स्थित है तथा जिसे

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-17 में खण्ड/ मण्डल / उपमण्डल कार्यालय-----

-----द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या (टिन) -----

दिनांक -----से प्रभावी जारी किया गया अथवा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए डिप्टी / असिस्टेंट कमिशनर, वाणिज्य कर, खण्ड / मंडल/ उपमण्डल -----

-----के कार्यालय में रसीद संख्या----- दिनांक ----- से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी / साझीदार----- हूँ । मैंने ईट निर्माताओं द्वारा अपने भट्टे में निर्मित ईटों, भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की दिनांक 01-10-2009 से 30-09-2010 तक की अवधि में की गई बिक्री पर तथा उक्त ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में धारा-6 में एक मुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भली भाँति समझ लिया है । शासन के इन निर्देशों की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं । उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र, उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

मैं उक्त फर्म द्वारा ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की सीजन वर्ष 2009-2010 में दिनांक 01-10-2009 से 30-09-2010 में हुई बिक्री तथा इसी अवधि में ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एक मुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु पूरे सीजन वर्ष 2009-2010 (दिनांक 1-10-2009 से 30-9-2010) के लिए -----पाया के भट्टे के लिए मूल्य सम्बर्धित कर की समाधान राशि रुपये ----- एवं प्रवेश कर की समाधान राशि रुपये----- अर्थात् पूरे सीजन वर्ष के लिए कुल देय समाधान राशि रुपये ----- की एक मुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के अनुसार स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ । पूरे सीजन वर्ष के लिये उपरोक्तानुसार कुल देय समाधान राशि में से समाधान प्रार्थना पत्र के साथ मूल्य संवर्धित कर की समाधान शुल्क रुपया----- एवं

कोयले पर देय प्रवेश कर की समाधान राशि रुपया----- अर्थात् कुल समाधान राशि रुपये -----
 ----- मैने चालान संख्या----- दिनांक -----द्वारा----- (बैंक /
 शाखा का नाम) में जमा कर दिया है, जिसकी प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

सीजन वर्ष 2009-2010 में ईट भट्टा समाधान योजना के अन्तर्गत समाधान योजना अपनाने वाले ऐसे भट्टे से, जो कि इस सीजन वर्ष के पूर्व से उत्पादन एवं बिक्री कर रहे हैं, की ओर से कम से कम रुपया-252 करोड़ की धनराशि जमा की जायेगी। यदि ईट भट्टा सीजन वर्ष 2009-2010 के प्रारम्भ अर्थात् दिनांक 1-10-2009 से पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत भट्टों से रुपया-252 करोड़ से कम धनराशि के लिए समाधान के विकल्प प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं, तो समाधान अपनाने वाले भट्टों द्वारा अवशेष राशि के समानुपातिक रूप से इसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी और तदनुसार आगामी किश्तों का निर्धारण माह मार्च, 2010 के बाद अनुपातिक रूप से किया जायेगा अथवा समाधान योजना अस्वीकार करने पर भी शासन विचार कर सकता है, जिसके लिए मैं सहमत हूँ।

दिनांक 01-10-2009 को मेरे यहाँ स्टॉक निम्नवत् था:-

क्रम संख्या	मद	संख्या/ मात्रा	स्थान जहाँ स्टॉक है
01	पक्की ईटें		
02	ईंटों के रोड़े		
03	भट्टों में निर्मित टाइल्स		
04	राबिस		
05	कोयला		
06	लकड़ी		
07	बालू		
08	लकड़ी का बुरादा		

दिनांक -----

हस्ताक्षर-----

पूरा पता-----

प्रास्थिति-----

फर्म का नाम व पता -----

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म ---
 -----के स्वामी / साझीदार----- है तथा इस प्रार्थना पत्र पर इन्होंने
 मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर-----

पूरा नाम-----

पूरा पता-----

समाधान योजना में सम्मिलित होने के लिये शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र :- प्रारूप-2

समक्ष डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर वाणिज्य कर,

खण्ड-----

मंडल / उपमंडल -----

मैं-----पुत्र श्री-----आयु लगभग-----वर्ष

स्थायी निवासी------(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1- मैं, फर्म स्वामी सर्वश्री -----जिसका मुख्यालय------(पूरा पता) पर स्थित है, का स्वामी / साझीदार ------(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2- मेरी फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	पूरा पता	वस्तुएं जिनका निर्माण या व्यापार होता है	निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण
01	मुख्यालय		
02	शाखाएं (अ) (ब) (स)		

3- वर्ष 2009-2010 में दिनांक 01-10-2009 से 30-09-2010 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोडों तथा राबिस की बिक्री और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तों तथा कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है तथा सभी निर्देश, शर्तें तथा प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य है और सदा रहेंगे।

4- मेरी उक्त फर्म के अपने निजी एवं लीज पर निम्नलिखित ईट भट्टे सीजन वर्ष 2009-2010 में 01-10-2009 से 30-09-2010 की अवधि में रहे हैं :-

भट्टों की संख्या	भट्टे की प्रकृति (नॉन हाईड्राट/ हाईड्राट)	जितने पाये का भट्टा है	एक समय में कितने स्थानों पर फुकाई होती है	प्रत्येक भट्टे के लिए प्रस्तावित पूरे सीजन वर्ष के लिए एकमुश्त कुल समाधान राशि			
				मूल्य सम्बर्धित कर समाधान राशि	प्रवेश कर समाधान राशि	ब्याज, यदि देय व जमा हो	कुल योग (स्तम्भ 5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8

सभी भट्टों के लिए पूरे सीजन वर्ष हेतु कुल समाधान राशि का योग रुपया -----

5- प्रस्तर (4) में अंकित भट्टो तथा इसी तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि का कुल योग रुपया-----होता है, जो मेरी / हमारी फर्म द्वारा पूरे सीजन वर्ष के लिए देय है। पूरे सीजन वर्ष के लिए देय उपरोक्तानुसार कुल समाधान राशि रुपये ----- मे से प्रथम किशत के रूप में देय रुपये ----- का चालान समाधान प्रार्थना पत्र / शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के साथ संलग्न है।

6- सीजन वर्ष 2009-2010 में ईट भट्टा समाधान योजना के अन्तर्गत समाधान योजना अपनाने वाले ऐसे भट्टे से, जो कि इस सीजन वर्ष के पूर्व से उत्पादन एवं बिक्री कर रहे हैं, की ओर से कम से कम रुपया-252 करोड़ की धनराशि जमा की जायेगी। यदि ईट भट्टा सीजन वर्ष 2009-2010 के प्रारम्भ अर्थात् दिनांक 1-10-2009 से पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत भट्टों से रुपया-252 करोड़ से कम धनराशि के लिए समाधान के विकल्प प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं, तो समाधान अपनाने वाले भट्टों द्वारा अवशेष राशि के समानुपातिक रूप से इसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी और तदनुसार आगामी किशतों का निर्धारण माह मार्च, 2010 के बाद अनुपातिक रूप से किया जायेगा अथवा समाधान योजना अस्वीकार करने पर भी शासन विचार कर सकता है, जिसके लिए मैं सहमत हूँ।

7- यदि वर्ष 2009-2010 में दिनांक 01-10-2009 से 30-09-2010 तक की अवधि हेतु धारा-6 में मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के साथ अनुलग्नक प्रारूप-1 में दी गयी शर्तों का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा कमिशनर, वाणिज्य कर द्वारा लगायी गयी शर्तों / प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए बाध्य होगी। शासनादेश / परिपत्र में दिये गये निर्देशों और निर्धारित शर्तों का अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा वाणिज्य कर विभाग, नियमानुसार कार्यवाहियां मेरी फर्म के विरुद्ध कर सकेगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर-----

पूरा पता-----

प्रास्थिति-----

फर्म का नाम व पता -----

घोषणा

मैं-----घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर (1) से (7) में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र / अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

साक्षी के हस्ताक्षर-----

नाम एवं पता -----

तिथि एवं स्थान-----

हस्ताक्षर-----

पूरा पता-----

प्रास्थिति-----

फर्म का नाम व पता -----

संख्या: कोनि0-2-240 / ग्यारह-2010-9(32)/09

प्रेषक,
देश दीपक वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
कमिश्नर,
वाणिज्य कर विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 04 फरवरी, 2010

विषय : ईट भट्टा सीजन वर्ष 2009-2010 में दिनांक 01-10-2009 से दिनांक 30-09-2010 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिए जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के ईट निर्माता व्यापारियों के लिये ईट भट्टा सीजन वर्ष 2009-2010 में दिनांक 01-10-2009 से दिनांक 30-09-2010 तक की अवधि के लिये उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिए जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू की जाय। इस संबंध में शासन के निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं। समाधान संबंधी प्रार्थना-पत्र/शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र गत वर्षों के अनुरूप कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया जायेगा। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कमिश्नर वाणिज्य कर समाधान राशि की गणना

स. अ. नि. (वा. वि.)

CCN

05/2/10

(चन्द्रशान्ति-हाई ड्राट भट्टों व हाई-ड्राट भट्टों के लिये अलग-अलग करते हुए विस्तृत निर्देश अपने स्तर से जारी

कमिश्नर करेंगे।

वाणिज्य कर, उ० प्र०

2- इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व के आंकड़े भी यथासमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

स. (वा. वि.)

CCN

05/2/10

(यु० अ. नि. सी. वि.)

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-I

वाणिज्य कर, मुख्यालय

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

552V
05/2/10

भवदीय,

(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव।

ईट भट्टा सीजन वर्ष 2009-2010 में दिनांक 01-10-2009 से दिनांक 30-09-2010 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिए जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में शासन के निर्देश।

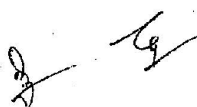
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अधीन उत्तर प्रदेश में ईटों के निर्माताओं से उनके द्वारा सीजन वर्ष 2009-10 में दिनांक 01.10.2009 से दिनांक 30.09.2010 तक की अवधि में निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर एवं प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि (जिसे आगे समाधान राशि कहा गया है) कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जा सकती है:-

- (1) सीजन वर्ष 2009-10 (दिनांक 1.10.2009 से दिनांक 30.9.2010 तक) की अवधि के लिये समाधान राशि सीजन वर्ष 2008-09 की अवधि के लिये विभिन्न पायों के भट्टों के लिये निर्धारित समाधान राशि के बराबर निर्धारित कर दी जाय।
- (2) कतिपय ईट भट्टों में फुँकाई शीघ्र पूरी किये जाने के उद्देश्य से हाई ड्राट तकनीक भी लगायी जाती है। हाई ड्राट भट्टों के लिए समाधान राशि, नॉन हाई ड्राट भट्टों के लिए निर्धारित समाधान राशि से 10 प्रतिशत अधिक होगी।
- (3) कोयले की खरीद पर देय प्रवेश कर के विकल्प के रूप में समाधान राशि उपरोक्तानुसार निर्धारित धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त होगी तथा कोयले पर प्रवेश कर के विकल्प के रूप में समाधान योजना अपनाने के लिये तदनुसार समाधान राशि जमा करनी होगी।
- (4) सीजन वर्ष 2009-10 में ईट भट्टा समाधान योजना के अन्तर्गत समाधान अपनाने वाले ऐसे भट्टों से, जो कि इस सीजन वर्ष के पूर्व से उत्पादन एवं बिक्री कर रहे हैं, की ओर से कम से कम ₹ 252 करोड़ की धनराशि जमा की जाएगी। समाधान योजना के कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा परिपत्रित करने के 20 दिन के अन्दर ईट भट्टा व्यवसायों द्वारा समाधान योजना हेतु विकल्प का प्रार्थनापत्र निर्धारित समाधान धनराशि के साथ सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसके पश्चात यदि 15 दिन के अन्दर इस अवधि के लिए देय समाधान राशि 15

9/10

प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करके समाधान योजना का विकल्प प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है तब भी इसे स्वीकार कर लिया जाय। उक्त दोनों समयसीमा के बाद राजस्व हित में समाधान योजना का विकल्प देने के लिये अधिकतम 30 दिन की अतिरिक्त अवधि बढ़ाने का अधिकार कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ०प्र० को प्रदान कर दिया जाय। विकल्प हेतु निर्धारित 20 दिन की अवधि के उपरान्त कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ०प्र० द्वारा अनुमन्य की गई अवधि तक के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित ही समाधान राशि जमा करनी होगी।

- (5) सीजन वर्ष 2009-10 की समाधान योजना हेतु नियत समाधान राशि के 30 प्रतिशत के बराबर समाधान राशि के जमा करने के प्रमाण के साथ प्रार्थनापत्र व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। देय सम्पूर्ण समाधान राशि का 20 प्रतिशत भाग दिनांक 28 फरवरी, 2010 तक, 20 प्रतिशत भाग दिनांक 20 मार्च, 2010 तक, 10 प्रतिशत भाग 30 अप्रैल, 2010 तक, 10 प्रतिशत भाग दिनांक 31 मई 2010 तक तथा 10 प्रतिशत भाग दिनांक 30 जून, 2010 तक जमा किया जायेगा। उक्तानुसार निर्धारित किश्तें समयानुसार जमा न करने की स्थिति में 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।
- (6) समाधान योजना परिपत्रित होने के पूर्व जारी किये गये टैक्स इन्वाइस के अनुसार वसूल की गयी कर की धनराशि का कोई लाभ समाधान योजना अपनाने वाले ईट निर्माताओं को देय धनराशि में नहीं दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कर के रूप में जमा की गयी धनराशि, जिसमें अस्थाई कर निर्धारण के फलस्वरूप जमा कर की धनराशि भी सम्मिलित है, समाधान राशि में समायोजित की जायेगी परन्तु किसी भी प्रकार के अर्थदण्ड अथवा ब्याज की धनराशि निर्धारित समाधान राशि में समायोजित नहीं की जायेगी।
- (7) समाधान योजना अपनाने वाले ईट भट्टा व्यवसायियों को आईटीसी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा तथा इन व्यापारियों द्वारा समाधान की अवधि में न तो कोई कर वसूल किया जायेगा और न ही कोई टैक्स इन्वाइस जारी की जायेगी।
- (8) समाधान योजना अपनाने वाले ईट भट्टा व्यापारियों से समाधान योजना निर्गत होने के पूर्व टैक्स इन्वाइस से क्रय करने वाले पंजीकृत क्रेता व्यापारियों को आईटीसी का लाभ अनुमन्य नहीं हो सकेगा, परन्तु ऐसे क्रेता व्यापारियों को हानि से बचाने के लिए उपयुक्त होगा कि आईटीसी अनुमन्य नहीं होने के कारण यदि कोई मांग सृजित



होती है तो उसे माफ करने का अधिकार सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को दे दिया जाय।

- (9) कोई व्यापारी जिस भट्टे के लिए समाधान योजना का विकल्प चुनता है, समाधान योजना केवल उसी भट्टे के लिए लागू मानी जायेगी। व्यापारी यदि उससे भिन्न किसी भट्टे से भी निर्मित किसी माल की बिक्री करते हैं या अन्य प्रकार के क्रय विक्रय के कार्य करते हैं तो अन्य भट्टे पर निर्मित माल अथवा अन्य प्रकार के क्रय विक्रय पर देय कर इस समाधान योजना से आच्छादित नहीं होगा।
- (10) यदि किसी ईट निर्माता द्वारा गत सीजन वर्षों में समाधान योजना अपनायी गयी थी परन्तु समाधान राशि की सभी किश्तें जमा नहीं की गयी हैं तो उक्त बकाया समाधान राशि ब्याज सहित जमा करने के प्रमाण पत्र के साथ ही इस सीजन वर्ष के लिए दिये गये समाधान प्रार्थना पत्र को समाधान राशि के साथ जमा करने पर स्वीकार किया जायेगा, अन्यथा समाधान योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- (11) केवल पंजीकृत व्यापारी तथा जिन्होंने पंजीयन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया है और वह अस्वीकृत नहीं हुआ हो केवल ऐसे व्यापारी इस योजना के पात्र हो सकेंगे।
- (12) इस योजना में भाग लेने वाले व्यापारियों द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्य किसी प्राविधान की कोई भी अन्य रियायत अनुमन्य नहीं होगी।
- (13) सीजन वर्ष के दौरान नये खुदे हुये भट्टों में फुँकाई आरम्भ होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर समाधान योजना हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- (14) यदि सीजन वर्ष के दौरान दिनांक 31 मार्च तक फुँकाई प्रारम्भ कर दी जाती है तो पूरे सीजन वर्ष के लिए नियत समाधान राशि देय होगी लेकिन यदि नये खुदे भट्टे में फुँकाई दिनांक 31 मार्च के पश्चात प्रारम्भ की जाती है तो समाधान राशि पूरे सीजन वर्ष के लिए नियत समाधान राशि के 75 प्रतिशत के बराबर देय होगी।
- (15) यदि ईट भट्टा सीजन वर्ष 2009-10 के प्रारम्भ अर्थात् दि० 1.10.2009 से पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत भट्टों से ₹ 252 करोड़ से कम धनराशि के लिए समाधान के विकल्प प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं तो समाधान योजना अपनाने वाले भट्टों द्वारा अवशेष राशि के समानुपातिक रूप से इसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी और तदनुसार

9/ 6/

आगामी किशतों का निर्धारण माह मार्च 2010 के बाद अनुपातिक रूप से किया जायेगा अथवा समाधान योजना अस्वीकार करने पर भी शासन विचार कर सकता है।

- (16) यदि उपर्युक्त प्रस्तर-15 में वर्णित पुराने भट्टों से ₹0 252 करोड़ से अधिक समाधान राशि सीजन वर्ष 2009-10 में प्राप्त होती है तो अधिक प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि समानुपातिक रूप से समाधान योजना स्वीकार करने वाले ईट निर्माताओं को अगले सीजन वर्ष देय होने वाली समाधान धनराशि में समायोजित की जायेगी। जिन भट्टों के सम्बन्ध में अगले सीजन वर्ष में समाधान योजना नहीं अपनाई जायेगी उन्हें यह समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
- (17) प्रार्थनापत्र तथा शपथपत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ईट भट्टों आदि की जाँच करने के लिए स्वतन्त्र होंगे। ऐसी जाँच के समय ईट निर्माता व्यापारी अथवा उनके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि जाँच कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और जाँच में पूरा सहयोग देंगे। व्यवधान उत्पन्न होने अथवा असहयोग करने की स्थिति में प्रार्थनापत्र तथा शपथपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निष्कर्ष निकाला जायेगा। साथ ही यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा उचित समझा जाय तो प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जा सकता है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (18) विवादित बिन्दु पर कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।


(संयुक्त सचिव)
संयुक्त सचिव
कर एवं निदमन
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ